कार्यवाही विवरण

11.2.19 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। वाद वादी स्वीकार किया जाता है निर्णय अलग से लिखाया जाकर आ० प० किया गया। तदनुसार पर्चा डिग्री जारी हो पत्रावली दर्ज हुआ सेवा नम्बर के क्रम से तथा वाद नकली कार्यवाही जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि० 11.3.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 11/2019

सतवीरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

1. कमलादेवी धर्म पत्नी श्रीराम
2. मंजूदेवी धर्म पत्नी कूरडाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम निवाई तहसील नवलगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—प्रतिवादीगण

वाद पत्र शामलाती कृषि भूमि का विधिवत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादी—श्री विजेन्द्रसिंह दूत
वकील प्रतिवादी—श्री सुरेन्द्रसिंह भर्रा

निर्णय

निर्णय तिथि 11.03.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम निवाई की सरहद में नई खाता सं0 16 की कृषि भूमि ख.न. 171 रकबा 1.21 है0 स्थित है, जिसकी खातेदारी संयुक्तरूप से वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी उक्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश कर रहा है जिसको आगे वाद पत्र में प्रशनगत कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी पहले कूनणी पत्नी स्व0 नाराना व संतोष विमला पुत्रियां नाराना कौम जाट के नाम से दर्ज थी, जिसमें से पूर्व खातेदार काश्तकार कुनणी व विमला का हिस्सा 2/3 सम्पूर्ण वादी ने जरिये विक्रय पत्र क्रय किया है जिसके मुताबिक वादी के पक्ष में नामा0 सं0 481 दिनांक 21.03.2014 को भरा जाकर खातेदारी दर्ज हुई है इसलिये प्रश्नगत कृषि भूमि में 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी है और पूर्व खातेदार काश्तकार संतोष का हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण जरिये विक्रय पत्र सुमन देवी पत्नी महेश कुमार ने क्रय किया है जिसके मुताबिक खातेदारी उसके नाम दर्ज हुई है तथा इसके पश्चात खातेदार काश्तकार सुमनदेवी का हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में नामा0 सं0 580 दिनांक 18.06.2015 को भरा जाकर खातेदारी दर्ज हुई है इसिलये 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हैं। इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा व स्वामीत्व है परन्तु प्रश्नगत भूमि शामलाती खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसका अभितक विधिवत विभाजन नही हुआ है, इसलिये वादी अपने हिस्से 2/3 का अलग विधिवत खाता विभाजन करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने के लिए उक्त वाद पेश है। प्रश्नगत कृषि भूमि में 2/3 हिस्सा वादी का दर्ज है और 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का दर्ज है। इसी प्रकार से मौखिक विभाजन करके वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 अलग अलग कृषि भूमि काश्त करते हैं एवं फसल लाटते हैं तथा मौखिक विभाजन के मुताबिक पूर्वी दिशा की तरफ वादी का कब्जा काश्त है और पश्चिम दिशा की तरफ प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का कब्जा काश्त है और वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हिस्से व कब्जे कश्त की प्रश्नगत कृषि भूमि में आने जोन के लिये दक्षिण दिशा की तरफ सटकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज सार्वजनिक आम रास्ता स्थित है वादी ने अपने हिस्से व कब्जे काश्त की प्रश्नगत भूमि में पुख्ता मकानाता बनाकर काबिज व आबाद है और शांति पूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करता है और प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने भी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में भी मकानात बना रखे हैं और चिनाई पत्थर व अन्य निर्माण सामग्री डाल रखी है तथा काबिज व आबाद हैं परन्तु प्रश्नगत कृषि भूमि अविभाजित है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है जिसके कारण वादी अपने हिस्से का अच्छी तरह भूमि का विकास नही कर पाता तथा ना ही वितीय संस्थाओं से ऋण आदि अनुदान प्राप्त कर सकता है। जिसके लिए वाद विधिवत विभाजन हेतु पेश है। अतः वाद बहक

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रश्नगत कृषि भूमि ख.न. 171 रकबा 1.21 है0 में वादी का हिस्सा 2/3 के मुताबिक रकबा 0.8067 है0 का पूर्वी दिशा की तरफ नजरी नक्शे में ए बिन्दू से दिखाई गई कब्जे काश्त की कृषि भूमि का विधिवत रूप से अलग खाता विभाजन किया जाकर खातेदारी दर्ज की जावे और प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का हिस्सा 1/3 के मुताबिक रकबा 0.4033 है0 पश्चिम दिशा की तरफ नक्शे में बी बिन्दू से दिखाई गई कब्जे काश्त की कृषि भूमि विधिवत रूप से अलग खाता विभाजन किया जाकर खातेदारी दर्ज की जावे। इसी प्रकार से हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार सही नाम जोख किया जाकर राजस्व रिकार्ड में विधिवत विभाजन किया जाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज करने बाबत प्रतिवादी सं0 3 को आदेशित व निर्देशित किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के 2/3 हिस्से के मुताबिक पूर्वी दिशा की तरफ विभाजन में आई प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा व अवरोध पैदा नही करे और ना ही प्रश्नगत कृषि भूमि के तारबन्दी करने व खाई बाड करके सुरक्षा व्यस्था करने में कोई परेशानी पैदा नही करें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 3 की आरै से सरकार का कोई हितबद नही होने से जबाब दावा पेश नही करने पर जबाबदवा बंद किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की और से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह भर्रा का वकालतनामा व इकबालिया जबाबदावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किया गया तथा वाद डिक्री करने में कोई एतराज नही होना वर्णित किया गया । अतः बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम निवाई संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 171 रकबा 1.21 है0 की खातेदारी कुनणी पत्नी स्व0 नाराना संतोष विमला पुत्री नाराना कौम जाट सो.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0 सं0 481 नि.दि. 21.03.2014 के अनुसार बेचान ख.न. 171 रकबा 1.21 है0 में कुनणी पत्नी स्व0 नाराना संतोष विमला पुत्री नाराना कौम जाट के स्थान पर सतवीरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट हि0 2/3 संतोष पुत्री नाराना हि0 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार स्वीकार। नामा0 सं0 562 नि.दि. 20.09.2014 बेचान ख.न. 171 रकबा 1.21 है0 में संतोष पुत्री नाराना कौम जाट सा.देह खातेदार हि0 1/3 के स्थान पर सुमनदेवी धर्मपत्नी महेशकुमार जाति जाट हि0 1/3सा.देह खातेदार स्वीकार शेष बदस्तूर जमाबंदी। नामा0 सं0 580 नि.दि. 18.06.2015 बेचान ख.न. 171 रकबा 1.21 है0 में सुमनदेवी धर्मपत्नी महेशकुमार हि0 1/3 के स्थान पर कमलादेवी धर्मपत्नी श्रीराम श्रीमती मंजूदेवी धर्मपत्नी कुरडाराम हि.ब.हि. 1/3 स्वीकार बाकी बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादी का प्रश्नगत कृषि भूमि अविभाजित तथा वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का हिस्सा 2/3 तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का हिस्सा 1/3 है । वाद पत्र में वादी का 2/3 हिस्सा अर्थात 0.8067 है0 पूर्वी तरफ का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.4033 है0 पश्चिमी तरफ का होना वर्णित किया गया है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार कियां जाता है। ग्राम निवाई की भूमि ख.न. 171 रकबा 1.21 है0 में वादी को 2/3 हिस्सा पूर्वी तरफ का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को 1/3 हिस्से का पश्चिमी तरफ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पंची डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner